पाली तहसील गंभीर सूखाग्रस्त घोषित

चर्चा में क्यों?

6 दिसंबर, 2022 को राजस्थान के आपदा प्रबंधन, सहायता एवं नागरिक सुरक्षा विभाग के शासन सचिव पी. सी. किशन ने बताया कि राज्य द्वारा पाली ज़िले में सतही जल और भू-जल की उपलब्धता में कमी, वर्षा की कमी, फसलों की खराब स्थिति और रिमोट सेंसिंग से प्राप्त सूचनाओं को ध्यान में रखकर पाली तहसील को गंभीर सूखाग्रस्त घोषित किया गया है।

प्रमुख बिंदु

- पी. सी. किशन ने बताया कि खरीफ फसल संवत् 2079 में प्रभावित क्षेत्रों का सूखा प्रबंध संहिता 2016 के आधार पर आकलन करके राजस्थान अफेक्टेड एरियाज(सस्पेंशन ऑफ प्रोसिडिंग्स) एक्ट 1952 के तहत पाली जिले की पाली तहसील को गंभीर सूखाग्रस्त घोषित किया गया है।
- राज्य सरकार द्वारा निर्देशित किया गया है कि अधिनियम की धारा 5 से 10 के प्रावधान पाली ज़िले की पाली तहसील के सूखाग्रस्त ग्रामों में अधिसूचना के प्रकाशित होने से 6 माह तक लागू रहेंगे।

PDF Refernece URL: https://www.drishtiias.com/hindi/printpdf/pali-tehsil-declared-severe-drought